

जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहूँ, जौनपुर (उ०प्र०)

निविदा सूचना पत्रांक-1-30 / जनविजौ / टेण्डर / 2023-24 / दिनांक.....

सत्र-2023-24

निविदा प्रपत्र (पार्ट-1 टेक्निकल)

क्रमांक.....

1. नाम / फर्म संस्था
2. जी एस टी नम्बर
3. आयकर रिटर्न (विगत एक वर्षो की-2022-23)
4. पैन कार्ड संख्या (छायाप्रति संलग्न कर)
5. पता -
6. अनुभव (यदि कोई हो)
7. अर्नेस्ट मनी
डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....बैंक का नाम.....
दिनांक.....धनराशि.....
8. यदि आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन किया है, तब आवेदन पत्र के शुल्क हेतु रू० 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट / विद्यालय खाता सं० 10956948396 IFS Code- SBIN0000226 में नकद जमा कर रसीद संलग्न करें।
डिमाण्ड ड्राफ्ट..... संख्या, बैंक का नाम.....
दिनांक.....
9. रू० 100/- नोटरी हलफनामा पर इस आशय का शपथ पत्र की फर्म को किसी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है तथा दी गयी सूचनायें सत्य है। इसमें किसी प्रकार सूचना गलत पाये जाने पर निविदा फार्म के साथ संलग्न रू०..... का बैंक ड्राफ्ट धनराशि जब्त कर लिया जाय तथा मेरी निविदा निरस्त कर दी जाय इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

निविदादाता का नाम
फर्म का पूर्ण पता
मो० नं० / दिनांक

निविदादाता का हस्ताक्षर

जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहूँ, जौनपुर (उप्र0)
निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें

1. निर्धारित निविदा पत्र पर विधिवत भरी हुई तकनीकी निविदा का एक सीलड बन्द लिफाफा, जिसमें समस्त वांछित अभिलेख एवं अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट संलग्न होगा। दूसरा लिफाफा वित्तीय निविदा का होगा, जिसमें सम्बन्धित सामग्री की दरें दी जायेगी। दोनों सीलड लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर मोहरबन्द कर प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहूँ, जौनपुर के नाम से पंजीकृत डाक अथवा विद्यालय मे रखे निविदा बाक्स मे दिनांक **07.06.2023** सांय **4.00** बजे तक पहुँचने पर निविदा स्वीकार की जाएगी। दोनों लिफाफो पर उपर बायी ओर स्पष्ट रूप से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अवश्य अंकित करें। दिनांक **07.06.2023** तक विद्यालय में प्राप्त निविदाओं को दिनांक **08.06.2023** को पूर्वाह्न **11.00** बजे विद्यालय क्रय परामर्शदात्री उपसमिति की बैठक में खोलकर निर्णय लिया जायेगा।

सर्वप्रथम तकनीकी निविदा को खोला जायेगा एवं तकनीकी निविदा के सही पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा को खोला जायेगा अन्यथा की स्थिति में वित्तीय निविदा का लिफाफा नहीं खोला जायेगा।

निविदाकर्ता किसी भी जनपद में ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, इस सम्बन्ध में 100/- (सौ रूपया) स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र निविदादाता द्वारा संलग्न करना अनिवार्य है।

2. निविदायें निविदा फार्म की शर्तों जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को निविदा में निहित शर्तों की सहमति पर अपने हस्ताक्षर अंकित करने चाहिए।
3. निविदा में दर्शायी गई दरें सभी कर सहित जैसे जी एस टी, उत्पादन शुल्क तथा अन्य कर सहित होनी चाहिए तथा एफ.ओ.आर. जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहूँ होना चाहिए। परन्तु किसी भी दशा में वस्तु पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।
4. निविदा फार्म में अंकित वस्तु व उनके मूल्यों में कोई काट छॉट नहीं होने चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना आवश्यक हो तो साफ तरीके से किया जाना चाहिए तथा परिवर्तन पर हस्ताक्षर व दिनांक का उल्लेख होना चाहिए।
5. अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखता है एवं वह न्यूनतम दर वाले निविदा को ही स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। वह किसी भी निविदा को बिना उसका कारण बताये निरस्त कर सकता है। निविदा की स्वीकृत न्यूनतम दरें गुणवत्ता को ध्यान में रखकर की जायेगी।
6. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी और निविदाकर्ता के बीच यह निविदा प्रपत्र स्वतः एक अनुबन्ध में रूप में परिवर्तित हो जाएगा तथा निविदादाता इस प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

10. निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र में वर्णित सम्बन्धित निविदानुसार रू0..... बयाना राशि(Earnest Money) के रूप में बैंक ड्राफ्ट/ विद्यालय खाता सं0 **10956948396**

IFS Code- SBIN0000226 में नकद जमा कर रसीद संलग्न करनी होगी। बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट /नकद जमा भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहूँ के नाम होना चाहिए। जिन निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हें धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। किसी भी दशा में धरोहर राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया

जाएगा। सरकारी संस्थाएं निविदा हेतु आवेदन करना चाहती है तो वह बयाना राशि में छूट हेतु सक्षम अधिकारी से निर्गत अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे परन्तु फर्म को ऐसा विभागीय पत्र लगा देने मात्र से बयाना राशि जमा न किए जाने की छूट प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए विद्यालय कय समिति स्वयं निर्णय लेगी जो निविदा पर लागू होगा।

7. निविदादाता को आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति अन्य श्रोत से पूर्ण कर ले तथा मूल्यों में अन्तर होने के कारण हुई कुल हानि की वसूली निविदादाता द्वारा प्रस्तुत लम्बित बिलों से अथवा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि से समायोजित कर ली जाएगी।
8. निविदा में दर्शायी गई मात्रा अनुमानित है जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा आवश्यकतानुसार बिना कारण बताए घटाया व बढ़ाया जा सकता है।
9. निविदा फार्म में जिन वस्तुओं के लिए नमूना मांगा गया है उनका नमूना निविदा के साथ अथवा निविदा खोलने के समय जैसा निर्देशित किया गया है प्रस्तुत करेंगे। अधोहस्ताक्षरी को निविदा स्वीकृत के बाद भी वस्तुओं का नमूना मांगने का अधिकार होगा तथा निविदादाता का दायित्व होगा कि वह नमूना प्रस्तुत करें तथा किसी भी सामान के मशीन होने की स्थिति में उसको चलाकर दिखाया जाना अनिवार्य होगा।
10. वस्तु की आपूर्ति की जाँच अधोहस्ताक्षरी द्वारा या अन्य प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति वस्तु स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं है अथवा निर्धारित निर्दिष्टकरण के अनुसार नहीं है तो आपूर्ति को निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्च पर बदला जायेगा अन्यथा आपूर्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
11. निविदा पत्र उन्ही फर्मों/कम्पनियों के स्वीकार किए जाएंगे जो उस वस्तु सामान मशीन इत्यादि के व्यापार में संलग्न हो तथा उनका जी एस टी पंजीकरण उस वस्तु विशेष के व्यापार करने हेतु हो।
12. निविदादाता को अपने पक्ष में प्राप्त आपूर्ति आदेश की वस्तुएँ अपने स्तर से ही आपूर्ति करनी होगी। वह उसको कोई अंश/भाग अन्य फर्म को आपूर्ति करने हेतु स्थानान्तरित नहीं कर सकता।
13. फर्म को भुगतान पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम के तहत किया जाएगा इस के लिए फर्म का खाता नं., जी एस टी नं., बैंक का नाम, शाखा का स्थान, फर्म का पता एवं मोबाइल नं. तथा बैंक का आई एफ एस कोड एक अलग पेपर पर लिखकर हस्ताक्षर के साथ अथवा पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति (जिसमें खाताधारक का पूर्व विवरण अंकित हो) देना होगा।
14. विवादास्पद वस्तु के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद वस्तुओं का निपटारा होने पर इनके परिणाम के अनुसार रकम का भुगतान किया जायेगा।
15. निविदा की दरें दिनांक 30.04.2024 तक मान्य होगी।
16. निविदादाता आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट वस्तुओं में यदि किसी वस्तु के साथ उपहार स्कीम कम्पनी उपलब्ध करा रही है तो निविदा दाता उस उपहार को विद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा उसे बिल में भी दर्शायेगा परन्तु उसकी कीमत शून्य होगी तथा उपहार में दी गयी वस्तु की कीमत की माँग नहीं करेंगे।
17. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र सम्बन्धित विद्यालय का जनपद क्षेत्र होगा।
18. भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर की कटौती आपूर्तिकर्ता के बिल से की जायेगी और आयकर विभाग को भेज दी जायेगी।
19. आपूर्ति आदेश के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति न करने पर अथवा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म को काली सूची में अंकित करने हेतु कार्यवाही करें।
20. निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।
 1. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक का प्रमाण पत्र।
21. फण्ड उपलब्ध होने पर आपके बिलों का भुगतान अविलम्ब किया जायेगा।

22. आपूर्ति छात्र/छात्राओं की उपस्थिति के उपरान्त ही ली जायेगी एवं विशेष परिस्थिति में, सरकारी आदेशानुसार विद्यालय बन्द किया जाता है तो उस स्थिति में आप द्वारा आपूर्ति किये गये सामान को वापस ले जाना होगा।
23. नवोदय विद्यालय समिति के दिशा निर्देश के क्रम में GEM पोर्टल के द्वारा भी आपूर्ति ली जा सकती है।
24. समोसा मिठाई हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं सब्जी एवं फल आपूर्तिकर्ता हेतु मण्डी समिति से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
25. निविदा प्रपत्र में लिखित समस्त शर्तें हमें मान्य है।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
मड़ियाहूँ, जौनपुर

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर.....

निविदा भरने वाले का नाम.....

जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहूँ, जौनपुर (उ०प्र०)
सम्बन्धित निविदा मदों में निर्धारित की गयी अर्नेस्ट मनी सत्र-2023-24

क्र.स.	मद का नाम	अर्नेस्ट मनी
1	मेस राशन	1 लाख
2	सब्जी एवं फल	15 हजार
3	दैनिक उपयोग सामग्री	10 हजार
4	समोसा एवं मिठाई	5 हजार
5	कम्प्यूटर, सी.सी.टी.वी.कैमरा वार्षिक रख रखाव एवं मरम्मत	3 हजार
6	गणवेश धुलाई एवं प्रेस कराई	1 हजार
7	आर.ओ. प्यूरिफायर मरम्मत एवं वार्षिक रख-रखाव	5 हजार
8	बेडिंग मरम्मत एवं क्रय	3 हजार
9	बाल कटिंग	1 हजार
10	संविदा वाहन	15 हजार
11	टकशाप	1 हजार

प्राचार्य